फा.सं.9-1/2018-एफईएस-ई.एस.

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कमरा सं. 450, कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 13 अप्रैल , 2018

श्री राकेश कुमार बैंस ,
मकान न. 89/1, मोहल्ला माजरी,
तहसील - शाहाबाद,
कुरुक्षेत्र - 136118
हरियाणा,
मोबाइल संख्या- 9416291903

विषय: **जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दिनाक 05.04.2018 के तहत आवेदन।**

महोदय,

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपने दिनांक 05.04.2018 के पत्र, का अवलोकन करें। इस निदेशालय से सम्बंधित जानकारी जिसके बारे में बिंदु (2 से 5) में पूछा गया है के संदर्भ मे बिन्दुवार उत्तर प्रस्तुत है ।

२) बिंदु 2 के उत्तर के लिए भारित औसत उत्पादन लागत पर प्राप्त प्रतिफल दिखाती एक गुणन तालिका इसके साथ सलग्न है।

3) अधिदेशित मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सभी अदा की गई लागतों (ए2) और पारिवारिक श्रम के आरोपित लागत (एफएल) पर विचार करता है। ए2 लागत के घटक हैं: किराया मानव श्रम का मूल्य; किराया बैल श्रम का मूल्य; स्वामित्व प्राप्त बैल श्रम का मूल्य; स्वामित्व प्राप्त मशीन श्रम का मूल्य; किराए पर लिए गए मशीन का प्रभार; बीज का मूल्य (किसान द्वारा उत्पादित और खरीदे गए दोनों); कीटनाशक और पीड़कनाशी का मूल्य; खाद का मूल्य (स्वामित्व प्राप्त और खरीदे गए); उर्वरक का मूल्य; उपकरणों और खेती के भवनों का मूल्य ह्रास; सिंचाई प्रभार; भू राजस्व, अधिभार और अन्य कर; कार्यशील पूंजी पर ब्याज; विविध व्यय (कारीगर, आदि); पट्टा भूमि के लिए दिया गया किराया। सरकार द्वारा निर्धारित कृषि जिंस का न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा अनुमानित किये गये अखिल भारतीय कुल भारित औसत उत्पादन लागत, परिवारिक श्रम सहित(A2+FL) पर पर्याप्त मुनाफा प्रदान करता है ।

4) वर्ष 2014-15 से वर्ष 2017-18 तक अधिदेशित फसलो का खर्च (A2+FL) व C2 में जोड़े गये खर्चो की राज्यों वार आकडे CACP की मूल्य नीति रिपोर्ट्स में उपलब्ध है जिसे वेबसाइट पर जिसे cacp.dacnet.nic.in पर जा के देखा जा सकता है।

5) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान मे रखकर अधिदेशित कृषि जिन्सों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवम लाभकारी मूल्य (FRP) पर निर्णय लेती है, जिससे कृषकों को अपनी फसलों का सही मूल्य प्राप्त हो सकें। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा तोरिया एवम छिलका रहित नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरसों और कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय सीएसीपी, उत्पादन लागत, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, आदि को सम्मिलित करती है।

आरटीआई से समबन्धित किसी जानकारी के लिए अपीलीय प्राधिकारी की सुचना इस प्रकार है, **श्री अमर सिंह**, सलाहकार, कमरा संख्या 433-बी, कृषि भवन (दूरभाष संख्या-011-23383708, ई मेल s.amar@nic.in)

सलग्न: यथा अनुसार

(रामेश्वर सिंह)
उप आर्थिक सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. **श्री जे.के राठी, सीपीआईओ & उप आर्थिक सलाहकार (CC),** ऍफ़ विंग, कमरा संख्या 119, शास्त्री भवन , नई दिल्ली
2. **आरटीआई कक्ष, डीएससी&ऍफ़डब्लू**, कृषि भवन, नई दिल्ली.
3. **तकनीकी सहायक , NIC** , कमरा संख्या . 341, कृषि भवन, नई दिल्ली

भारित औसत उत्पादन लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य, भारित औसत उत्पादन लागत पर प्राप्त प्रतिफल

(वर्ष 2017-18)

(रू. प्रति क्विंटल)

क्र.सं.	फसले	भारित औसत उत्पादन लागत	न्यूनतम समर्थन मूल्य	भारित औसत उत्पादन लागत पर प्राप्त प्रतिफल(प्रतिशत में)
1	गेहूं	817	1735	112.4
2	रेपसीडी/सरसों	2123	4000	88.4
3	मसूर (लेन्टिल)	2366	4250	79.6
4	चना	2461	4400	78.8
5	जौ	845	1410	66.9
6	उड़द	3265	5400	65.4
7	अरहर(तूर)	3318	5450	64.3
8	पटसन	2160	3500	62.0
9	बाजरा	949	1425	50.2